भारत सरकार और केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में पदों की नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आवेदन करने के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

पंजीकरण सं. ..... दिनांक : .....

अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी ..... जिला/संभाग प्रदेश केंद्र शासित राज्य के ..... जाति/जनजाति समुदाय के हैं, जो अन्य पिछडे वर्ग के अधीन मान्यता प्राप्त हैं|

कृपया टिक लगाए

अ) भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं.186, दि.13.09.1993 में प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं.12011/68/93-बी सी सी, दि.10.09.1993.

आ) भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं.163, दि.20.10.1994 में प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं.12011/9/94-बी सी सी, दि.19.10.1994.

इ) भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं.88, दि.25.05.1995 में प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं.12011/7/95-बी सी सी, दि.24.05.1995.

ई) भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1, अनुभाग-1, सं.210, दि.11.12.1996 में प्रकाशित, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का संकल्प सं.12011/96/94-बी सी सी, दि.06.12.1996.

आ) अपने मूल राज्य/संघ शासित राज्य से प्रवास पर आनेवाले अन्य पिछडे वर्ग के लोगों के लिए लागू (यदि कोई परिच्छेद लागू न हों, तो काट दें) :

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....माता/पिता श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवासी जिला/प्रभाग,..... राज्य/संघ शासित प्रांत द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ..... अन्य पिछड़े वर्ग के समुदाय के हैं, और जिसे आदेश सं.....,

दि..... के अनुसार ..... (निर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम) राज्य/संघ शासित प्रांत द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है|

इ) श्री/श्रीमती/कुमारी .....और/या उनका परिवार आम तौर पर ..... जिला/.....राज्य के प्रभाग/संघ शासित प्रांत के.....गाँव/शहर में रहते हैं|

ई) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्थापना (एस सी टी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूचि के कॉलम 3 में सूचित व्यक्ति/अनुभाग से संबंधित नहीं हैं|

स्थान : ..... हस्ताक्षर : .....

राज्य/संघ शासित प्रांत ..... जारी करनेवाले प्राधिकारी का नाम : .....

दिनांक : ..... पदनाम: .....

(कार्यालय की मुहर सहित)

नोट: (1) यहाँ प्रयुक्त 'सामान्यत:' शब्द का अर्थ, जनता के अभ्यावेदन अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिये गए अनुसार ही है|

(2) अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :

अ) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यपालक मेजिस्ट्रेट|

आ) चीफ प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट

इ) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार श्रेणी से कम न हों|

ई) जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है उस क्षेत्र का उप-प्रभाग अधिकारी|

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा|